

कार्यालय कलेक्टर (ई-गवर्नेंस सोसायटी) जिला बेमेतरा (छ.ग.)

कोबिया चौक-बेमेतरा

दूरभाष क्रमांक 07824-222129 फैक्स क्रमांक 07824-222029

E-mail Bemetara.cg@gov.in

आदेश

क्रमांक / ३३४४ / DeGS/2017

बेमेतरा, दिनांक २४-७-२०१७

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 2137 / DeGS / 2017 बेमेतरा, दिनांक 06.06.2017 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए e-District Manager (संविदा) पद हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं साक्षात्कार उपरांत तैयार अंतिम चयन सूची के प्रतीक्षा सूची क. 1 के अध्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 06 में वर्णित कार्यालय में नीचे लिखे शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यर्थी का नाम(प्रतीक्षा सूची क. 1)	पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	एकमुश्त वेतनमान	पदस्थापना कार्यालय
01	02	03	04	05	06
e-District Manager					
01	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	श्री दिलीप कुमार वर्मा	अनारक्षित मुक्त	23500.00	कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा

संविदा की शर्तें :-

1. संविदा पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, गृह भत्ता, पेशन इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं एक वर्ष के लिए है।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, फेलोशिप प्रोग्राम की HR पॉलिसी में वर्णित छुट्टियों की पात्रता की होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा रोवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
4. यह नियुक्ति छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-9/1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17.01.2013 के निर्देशानुसार छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के अधीन होगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के पेशन/उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 से शासित होंगे।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन (परफर्मेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जावेगा ताकि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन के कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्त प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया।

9. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य बर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देना होगा ।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एकमाह का वेतन (मानदेय) देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
11. उपरिथित मान्य होने के 15 दिवस के अंदर जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

Kroel
28-07-2017

(कार्तिकेया गोयल)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस सोसायटी बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक 28-7-2017

पृ. क्रमांक / ३३४४ / DeGS/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सूचना प्रौद्योगिक एवं जैव प्रौद्योगिक विभाग महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. श्री सी.पी.बघेल, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट बेमेतरा को सूचनार्थ ।
5. श्री रोहित कुमार चंद्रवशी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. बेमेतरा को सूचनार्थ ।
6. श्री महेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री दिलीप कुमार वर्मा निवासी ग्राम-बहेसर, पोस्ट-नेवरा (तिल्वा) जिला रायपुर पिन नं.-493114 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । चयनित अभ्यर्थी कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा में अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक 08.08.2017 तक पदाकन स्थल में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करे ।

टीप :- 1- चयनित अभ्यर्थी जिले में चल रही ई-डिविट्रिक्ट/स्वॉन/चिप्स की सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कर सरल क्रमांक 4 एवं 5 के अधिकारी को समय-रामय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।
2-प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी/त्रुटि पायी जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त मानी जावेगी ।

Kroel

(कार्तिकेया गोयल)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस सोसायटी बेमेतरा